भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4020
12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

गेहूं और धान की चोरी मुक्त खरीद

4020. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गेहूं और धान की खरीद प्रक्रिया में दक्षता हासिल करने और चोरी मुक्त खरीद के लिए खरीद प्रक्रिया में आद्यंत तकनीकी समाधानों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या खरीद में एकीकृत आद्यंत तकनीकी समाधानों से खरीद में पारदर्शिता लाने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसानों को इन एकीकृत खरीद मंचों के माध्यम से रियल-टाइम अपडेट और भुगतान प्राप्त होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या नई प्रणाली में किसानों के लिए शिकायत निवारण तंत्र शामिल होगा; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खेतों के समीप पर्याप्त सुविधाओं युक्त अधिक संग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2021-22 से खाद्यान्न की खरीद, अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के राज्य खाद्यान्न खरीद पोर्टलों (एसएफपीपी) के माध्यम से की जाती है। एसएफपीपी को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) से एकीकृत किया गया है। इससे किसान-वार जिंस खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान, केंद्रीय पूल में वितरित कस्टम मिल चावल (सीएमआर), मिलों के पास धान की मासिक उपलब्धता, मिल-वार आपूर्ति किए गए मासिक सीएमआर आदि से संबंधित सूचनाओं का एक भंडार तैयार हुआ है, जिससे प्रभावी निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी खरीददार राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम सीमा मापदंडों (एमटीपी) का एक समूह निर्धारित किया है। एमटीपी में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, किसानों के पंजीकरण डेटा का भूमि अभिलेखों के साथ मिलान, मंडी/खरीद केंद्र प्रचालन का डिजिटलीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से एमएसपी का अंतरण शामिल है।

...2/-

रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2021-22 से पूरे देश में "एक राष्ट्र, एक एमएसपी डीबीटी के माध्यम से" योजना लागू की गई है। एमएसपी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित हुई है। डीबीटी के माध्यम से एमएसपी भुगतान के डायवर्जन को रोका जा सका है क्योंकि भुगतान सीधे किसान के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।

(ग): खरीद पोर्टल किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तिथि/अवधि, उपज की बिक्री के लिए बुकिंग के आधार पर किसानों को आवंटित स्लॉट/समय आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं। इससे किसानों को अपनी सुविधानुसार निकटतम मंडी में अपना स्टॉक पहुंचाने में सुविधा होती है।

राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच खरीद कार्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, धान की खरीद के 48 घंटों के भीतर किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे जमा किया जाना चाहिए। यह प्रावधान समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है और किसानों को वित्तीय संकट से बचाता है।

(घ) एवं (ङ): मौजूदा प्रणाली के अनुसार, किसानों की चिंताओं/समस्याओं/शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटारा खरीद केंद्र/मंडी के संबंधित पर्यवेक्षक प्रबंधकों और एफसीआई के संबंधित मंडल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

खरीद का मौसम शुरू होने से पहले, संबंधित राज्य की खरीद क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एफसीआई/राज्य सरकार की एजेंसियां आपसी परामर्श से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोलती हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों तथा डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। खरीद मौसम के दौरान अतिरिक्त खरीद केंद्रों की आवश्यकता का समय-समय पर आकलन किया जाता है और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं।

एमएसपी खरीद की पहुंच बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/पीएसी को शामिल करने का प्रावधान किया है ताकि देश के हर कोने में अधिकतम किसान मूल्य समर्थन प्रचालनों का लाभ उठा सकें।
